

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 622/16

संस्थापन दिनांक:-07/10/16

फाईलिंग नं. 400594/2016

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

राजेश पिता कमल मेहरा, उम्र 30 वर्ष,
निवासी रोडगांव रोड बोड़खी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 24.05.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 24.09.2016 को करीब 01:15 बजे थाना आमला से 06 किमी. पूर्व में स्थित रोडगांव रोड बोड़खी चौक आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, फल की चौड़ाई 3 इंच और मूठ की लंबाई 4 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 24.09.2016 को प्रधान आरक्षी एस.डी. साहू को मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई कि रोडगांव रोड बोड़खी में अभियुक्त हाथ में लोहे का बंका लेकर आने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे का बंका लिये लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। अभियुक्त द्वारा छुरा रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे का धारदार बंका जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 499/16 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.09.2016 को करीब 01:15 बजे थाना आमला से 06 किमी. पूर्व में स्थित रोडगांव रोड बोड़खी चौक आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, फल की चौड़ाई 3 इंच और मूठ की लंबाई 4 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 एस.डी. साहू (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 24.09.2016 को चौकी बोड़खी, थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ रोडगांव चौक बोड़खी आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे का धारदार बंका लिये लोगों को डराते धमकाते मिला तथा अभियुक्त द्वारा बंका रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का धारदार बंका जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 499/16 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी।

6 विकास (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) पर उसके हस्ताक्षर होने बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी विकास (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में एक अन्य स्वतंत्र साक्षी दीपक के अदम पता हो जाने से उसके कथन न्यायालय में अंकित नहीं किये जा सके हैं। अभिलेख पर मात्र एस.डी. साहू (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के

आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 एस.डी. साहू (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर रोडगांव चौक मौके पर पहुंचना और अभियुक्त से लोहे का बंका जप्त करना एवं उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि सूचना मिलने पर वह मौके पर एक आरक्षक के साथ और दो रहागीर साक्षियों के साथ गया था। जब वह पहुंचा था तब मौके पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित किसी भी स्वतंत्र साक्षी से उसने पूछताछ नहीं की थी। जप्ती प्रपत्र में नमूना सील नहीं लगा है। स्वतः कहा कि जप्ती प्रपत्रों पर नमूना सील नहीं लगती है। जप्तशुदा आयुध की नाप किस चीज से की थी इसका उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया है।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी कार्यवाही उपरांत तैयार किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से जप्तशुदा आयुध लोहे का छुरा जप्त किये जाने के उपरांत उसे मौके पर सीलबंद किया गया हो, न ही जप्ती पत्रक में नमूना सील अंकित है। जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में जप्तशुदा आयुध की नापजोप किससे की गयी इसका उल्लेख भी जप्ती पत्रक में नहीं है और न ही इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.09.2016 को करीब 01:15 बजे थाना आमला से 06 किमी. पूर्व में स्थित रोडगांव रोड बोड़खी चौक आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, फल की चौड़ाई 3 इंच और मूठ की लंबाई 4 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त राजेश को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का धारदार छुरा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)